March, 1987 are being observed by Administration-I, Administration-II, Administration-III, Budget & Planning, Foreign Training Administration, Cash Branch, Hindi Unit. Advanced Vocational Training System, Training Craftsmen and Trade Testing Cell Sections in D.G.E.& T.

(b) to (d) Administration-II, Training Administration-I, Training Administration-II, Women Occupational Training, Employment Exchanges-II and Employment Exchanges-III Sections in D.G.E.& T. are looking after the administration relating work of its various subordinate offices. As far as possible, the above mentioned guidelines are being observed by these Sections. However, the proposals submitted by the subordinate offices are required to be examined from administrative and technical angles, therefore, it is difficult to follow the guidelines in toto.

मजदूरों के लिए राज्य-वार न्यूनतम मजदूरी दर

2353. **श्री जगन्नाथ सिंह:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूरे देश भर में मजदूरों के लिए राज्य-वार न्यूनतम मजदूरी दरें क्या-क्या हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि इन मजदूरों को यथा-निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों का भुगतान नहीं किया जा रहा है?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कर्मकारों की अकुशल श्रेणी के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरों के संबंध में उपलब्ध सूचना दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिए)**

(ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में समुचित सरकारों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पड़ने वाले अनुसूचित रोजगारों के क्षेत्रों में अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करवाने के लिए प्रवर्तन तंत्र गठित करने का प्रावधान है। प्रवर्तन तंत्र नियमित निरीक्षण करता है और जब कभी अधिनियम का कोई उल्लंघन उनके ध्यान में आता है, तो उन पर आवश्यक कार्रवाई करता है।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अकुशल, कर्मकारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें

(1.1.97 की स्थिति के अनुसार)

क्र०सं०	राज्य सरकार/संघ-शासित क्षेत्र का नाम	न्यूनतम मजदूरी की दरें और पिछले संशोधन की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4
	राज्य		
1.	आन्ध्र प्रदेश	11.00 रु० से 42.40 रु०* प्रतिदिन (12.2.96)	रोजगार दर रोजगार दरें भिन्न हैं।
2.	अरुणाचल प्रदेश	21.00 रु० से 23.00 रु० प्रतिदिन (1.1.94)	रोजगार के अनुसार और क्षेत्रानुसार दरें भिन्न हैं
3.	असम	33.00 रु० से 44.30 रु०* प्रतिदिन (1.4.95)	रोजगार के अनुसार दरें भिन्न हैं
4.	बिहार	27.30 रु० से 39.70 रु० प्रतिदिन (21.12.95)	रोजगार के अनुसार दरें भिन्न हैं

1	2	3	4
5.	गोवा	21.00 रु० से 46.00 रु० प्रतिदिन (1.4.95)	रोजगार के अनुसार दरें भिन्न हैं
6.	गुजरात	34.00 रु० से 57.90 रु० प्रतिदिन (1.4.96)	रोजगार के अनुसार दरें भिन्न हैं (अंचलों के अनुसार)
7.	हरियाणा	51.25 रु० से 55.52 रु० प्रतिदिन (1.1.96)	सभी रोजगारों के लिए एक ही दरें कृषि को छोड़कर
8.	हिमाचल प्रदेश	26.00 रु० से 45.75 रु० प्रतिदिन (1.3.96)	सभी रोजगारों के लिए एक ही दरें चाय बागान को छोड़कर
9.	जम्मू और कश्मीर	30.00 रु० प्रतिदिन (13.3.95)	सभी रोजगारों के लिए एकहरी दर
10.	कर्नाटक	26.00 रु० से 37.32 रु० प्रतिदिन (28.3.94)	अलग-अलग रोजगारों की अलग-अलग दरें (अंचलों के अनुसार)
11.	केरल	19.50 रु० से 76.40 रु० प्रतिदिन (31.3.92)	-वही-
12.	मध्य प्रदेश	22.50 रु० से 43.96 रु० प्रतिदिन (29.1.94)	अलग-अलग रोजगारों की अलग-अलग दरें।
13.	महाराष्ट्र	9.25 रु० से 80.35 रु० प्रति दिन (29.6.94)	अलग-अलग रोजगारों की अलग-अलग दरें (अंचलों के अनुसार)
14.	मणिपुर	44.65 रु० प्रतिदिन (मैदानी क्षेत्र के लिए) 47.65 रु० प्रतिदिन (पहाड़ी क्षेत्र के लिये) (8.7.95)	सभी रोजगारों के लिये दोहरी दरें
15.	मेघालय	35.00 रु० प्रतिदिन (16.3.94)	सभी रोजगारों के लिये एकहरी दरें
16.	मिजोरम	28.00 रु० से 35.00 रु० प्रतिदिन (11.6.93)	सभी रोजगारों के लिये दोहरी दरें
17.	नागालैंड	25.00 रु० प्रतिदिन (6.7.92)	सभी रोजगारों के लिये एकहरी दरें
18.	उड़ीसा	30.00 रु० प्रतिदिन (15.8.96)	-वही-
19.	पंजाब	55.73 रु० से 58.28 रु० प्रतिदिन (1.7.95)	कृषि को छोड़कर सभी रोजगारों के लिए एकहरी दरें।
20.	राजस्थान	32.00 रु० प्रतिदिन (1.1.95)	सभी रोजगारों के लिए एकहरी दरें

1	2	4
21. सिक्किम	शून्य	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 को अभी भी लागू और प्रवर्तित किया जाना है।
22. तमिलनाडु	10.00 रु० से 56.25 रु०* प्रतिदिन (21.7.95)	अलग-अलग रोजगारों के लिये अलग-अलग दरें (अंचलों के अनुसार)
23. त्रिपुरा	17.70 रु० से 36.00 रु० प्रतिदिन (7.6.96)	-वही-
24. उत्तर प्रदेश	36.00 रु० से 49.30 रु० प्रतिदिन (13.6.96)	-वही-
25. पश्चिमी बंगाल	27.70 रु० से 59.20 रु०* प्रतिदिन (2.11.95)	-वही-
26. अंडमान और निकोबार	37.00 रु० से 40.00 रु० प्रतिदिन (15.8.94)	-वही-
27. चंडीगढ़	54.60 रु० से 58.07 रु०* प्रतिदिन (4.11.95)	कृषि को छोड़कर सभी रोजगारों के लिये एकहरी दर
28. दादरा और नगर हवेली	35.00 रु० से 40.00 रु० प्रतिदिन (18.5.95)	अलग-अलग रोजगारों के लिए अलग-अलग दरें (अंचलों के अनुसार)
29. दमन और दीव	35.00 रु० प्रतिदिन (8.5.95)	सभी रोजगारों के लिए एकहरी दर
30. दिल्ली	64.50 रु० प्रतिदिन* (1.2.94)	-वही-
31. लक्षद्वीप	30.00 रु० प्रतिदिन (1.1.96)	-वही-
32. पांडिचेरी	19.25 रु० से 40.20 रु० प्रतिदिन (24.7.95)	कृषि कर्मकारों के लिये दरें
33. केन्द्रीय सरकार	34.96 रु० से 63.09 रु० प्रतिदिन (12.7.94)	अलग-अलग रोजगारों की अलग-अलग दरें (क्षेत्रों के अनुसार)

नोट: 1. *मजदूरी की न्यूनतम दरों सहित परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का प्रावधान प्रदर्शित करता है।

2. कॉलम 3 के अंतर्गत कोष्ठक में दिये गये आंकड़े पिछली बार संशोधित अनुसूचित रोजगार के लिए संशोधन की तिथि दर्शाते हैं।

No objection for conducting a secret ballot for verification

2354. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:
SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minister of LABOUR be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1809 given in the Rajya Sabha on the 9th December, 1996 and state:

(a) whether the Ministry of Petroleum and Natural Gas had referred the issue to Ministry of Labour in January, 1996 conveying its no objection for conducting a secret ballot for verification;